

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

संख्या... ५३५

(ऐक्ट 21, 1860)

वर्ष २००९-१०

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 'कौशल्या सेवा सदन सुपौल'.....
ग्राम- नरही, शिवपुरी, पो०- घरवीटा, थाना- किशनपुर, जिला- सुपौल (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ३० नवंबर १९६० मास मई वर्ष १९६०-६१ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21, 1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या न होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रायोजन हेतु अनुशासना नहीं माना जाए।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।
१०/६